न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 07/2025

जी.सी.एम.एस. : 2025/86

अपीलान्ट :–

1. चन्द्रकांता पण्डित पुत्री स्व. बालमुकंद पत्नी रमेशचंद पण्डित जाति ब्राह्मण निवासी– ग्राम जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.) हाल निवासी– 7-5-97/2 Marwadi Bajar Tandur, K.V.Rangareddy, Telangana 501141
2. कोलरिया पुष्पलता पुत्री स्व. बालमुकन्द पत्नी कोलरिया रमेश जाति ब्राह्मण निवासी– ग्राम जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली हाल निवासी–H.No. 8-80 Geesugonda Mandalam Dharamaram Warangal Andhra Pradesh 506330

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1. वासुदेव पुत्र स्व. बालमुकंद जाति ब्राह्मण, निवासी– जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी– H No. 19-6-263 Rangashipet Mandal Near Mahankali Temple Kila Warangal Town Dist- Warangal Telangana State 506005
2. गिरजा बाई तिवारी पत्नी स्व. रामचन्द्र जी तिवारी जाति ब्राह्मण, निवासी– जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी– 15-4-202 Osman Shahi Gowliguda VTC Nampally Dist. Dydrabad State Andhra Pradesh 500012
3. बृजगोपाल तिवारी पुत्र स्व. रामचंद्र तिवारी जाति ब्राह्मण, निवासी– जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी– 15-4-202 Osman Shahi Gowliguda VTC Nampally Dist. Dydrabad State Andhra Pradesh 500012
4. ओमप्रकाश तिवारी पुत्र स्व. रामचंद्र तिवारी जाति ब्राह्मण, निवासी– जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी– 7-5-97/1 Marwari Bajar Tandur, K. V. Rangareddy Telangana 501141
5. मंजू देवी कुरडिया पुत्री स्व. रामचंद्र पत्नी मुरली प्रसाद कुरडिया जाति ब्राह्मण, निवासी– जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी– 15-4-22 Gowli Guda Chaman Namapally Hydrabad Andhra Pradesh 500012

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

6. कामिनी लक्ष्मीनारायण पाण्डे जाति ब्राह्मण, निवासी– जाडन तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी– 18A Narmada Niwas Shinu Bunglow S.M.I.T. Collage BJ Nagar Jalgaon Maharastra 425001
7. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्री नीलम सोनी।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 07 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 25/06/2025

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम जाड़न के नामान्तरकरण संख्या 458 दिनांक 23.05.1994 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाण्ट्स व रेस्पोडेण्ट्स के पिता बालामुकना उर्फ बालमुकना पुत्र सालगराम की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम जाड़न खालसा तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 75 रकबा 31.1734 बीघा भूमि है। जिसमें बालामुकना उर्फ बालमुकन का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का था, बालामुकना उर्फ बालमुकन के विधिक वारिसान सुन्दर बाई, वासुदेव, रामचन्द्र, चन्द्रकान्ता पण्डित, कोलरिया पुष्पलता है। स्व. रामचन्द्र पुत्र बालामुकना उर्फ बालमुकन के विधिक वारिसान गिरजाबाई तिवारी, बृजगोपाल तिवारी, ओमप्रकाश तिवारी, मन्जुकुरडिया व कामिनी है। बालामुकना उर्फ बालमुकन पुत्र सालगराम अपीलाण्ट्स एवम् रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 के पिता व रेस्पोडेण्ट्स संख्या 02 से 06 के दादा थे। बालामुकना उर्फ बालमुकन की मृत्यु होने के बाद उपरोक्त पद में वर्णित कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 458 तहसीलदार मारवाड़ जक्शन द्वारा दिनांक 23.05.1994 को स्वीकृत किया गया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 458 दर्ज करते समय रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 से 06 के पिता रामचन्द्र के नाम ही दर्ज किया गया तथा अपीलाण्ट का नाम दर्ज

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नहीं किया गया, जबकि अपीलाण्ट बालामुकना उर्फ बालमुकन की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है तथा अपीलाण्ट का भी बालामुकना उर्फ बालमुकन के हक हिस्से की कृषि भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 से 06 के पिता बराबर-बराबर हक हिस्सा एवम् अधिकार निहित हुये है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा उक्त जैर अपीलराधनी नामान्तरकरण संख्या 458 स्वीकृत करते समय स्व. बालामुकन उर्फ बालमुकन के सभी विधिक उत्तराधिकारी वारिसान की जांच किये बिना एवं अपीलाण्ट को सुने बिना एवम् अपीलाण्ट को नोटिस दिये बिना उक्त जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो अलीपाण्ट के हक अधिकारों के विरूद्ध है। उक्त वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट के भी हक अधिकार रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 से 06 के पिता के समान निहित है। अपीलाण्ट बालामुकना उर्फ बालमुकन के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। अपीलाण्ट को उक्त जैर नामान्तरकरण संख्या 458 स्वीकृत करने से पूर्व में कोई जानकारी नही थी, न ही रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार की जानकारी दी गई, न ही अपीलाण्ट को नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय किसी प्रकार का सुनवाई का नोटिस दिया गया। अतः जैर अपील नामान्तरकरण विधिविरूद्ध होने से निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 6 ने अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों से सहमति जाहिर करते हुये निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश स्व. बालामुकना उर्फ बालमुकन के समस्त वारिसानों की जांच किये बिना ही भरा गया है, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनरथ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय के मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1994 में दर्ज किया है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ-पत्र के निर्णय में उचित समझते है कि उक्त आवेदन व शपथ पत्र अखंडित है। प्रकरण में अपीलाण्ट्स का स्व. बालामुकना उर्फ बालमुकन की पुत्री होने का तथ्य व्यक्त रूप से स्वीकृत है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार पुत्री का भी प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी होना बनता है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। तदनुसार उसे अपने हक अधिकारों से वंचित किये जाने का नामान्तरकरण प्रथम-दृष्ट्या विधि विरूद्ध है जिससे प्रार्थना-पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ-पत्र को अखंडित मानते हुए म्याद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस मुख्य रूप से यह उज्र रहा कि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पिता एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 6 के दादा स्व. बालामुकना उर्फ बालमुकन की ग्राम जाडन खालसा तहसील मारवाड़ जंक्शन में कृषि भूमि आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 75 रकबा 31.1734 बीघा है। स्व. बालामुकना उर्फ बालमुकन फौत हो जाने पर जैर आराजी का फौतेदगी नामान्तरकरण केवल उनके पुत्र वासुदेव एवं स्व. रामचन्द्र के पक्ष में स्वीकृत किया गया। प्रकरण में अपीलाण्ट्स जो कि स्व. बालामुकना उर्फ बालमुकन की पुत्री है उनके द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 458 को उनके प्रथम श्रेणी के हिन्दु उत्तराधिकारी होने के कारण खारिज किया जाकर उनका भी नाम विरासत में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। साथ ही अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने भी यह स्वीकार किया कि जैर नामान्तरकरण केवल पुत्रों के नाम दर्ज हुआ, जो विधिनुसार नहीं है तथा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट्स, स्व. बालामुकना उर्फ बालमुकन के विधिक उत्तराधिकारी/वारिशान होने के तथ्य को भी किसी रूप में नकारा नहीं है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 के अन्तर्गत हिन्दु के निर्वसीयती मृत्यु होने पर उनके प्रथम श्रेणी के वारिसान में उनकी पुत्रियां भी शामिल होती है परन्तु इस प्रकरण में मृतक उदाराम की विरासत में उनकी पुत्रियों को वंचित किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। स्पष्टतया यह प्रकरण विधि के आज्ञापक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा जैर नामान्तकरण निरस्त किये जाने का प्राथमिक आधार है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम जाड़न के नामान्तरकरण संख्या 458 दिनांक 23.05.1994 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुये दस्तावेज/साक्ष्य की जांच कर नव सरे विधिनुसार निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 25/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली